न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 133 / 2018
निर्णय दिनांक– 14.11..2018

बदरीलाल पुत्र धन्नालाल जाति गूर्जर निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक
प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1.श्री श्योजीलाल चौधरी वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी की माता बरजीदेवी के खतेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 3354 रकबा 0.25, ख0न0 3355 रकबा 0.26, ख0न0 3359 रकबा 0.76 एवं ख0न0 3357 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी की माता बरजीदेवी की मृत्यु हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी पर बरजीदेवी की मृत्युपरान्त प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की माता का वास्तविक नाम बरजीदेवी था, जो उसके परिवार राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व अन्य दस्तावेजात मे अंकित है, परन्तु प्रार्थी की माता को बजरंगीदेवी के नाम से भी पुकारते थे, इस कारण राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी की माता बरजीदेवी के स्थान पर बजरंगीदेवी दर्ज हो गया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष मे नामान्तरकरण खुलवाने मे परेशानी आ रही है तथा नामान्तरकरण नहीं भरा जा सका है। प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड मे उक्त नाम दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार जी से भी निवेदन किया उनके द्वारा श्रीमान के समक्ष कार्यवाही करने की हिदायत देने से प्रा0पत्र पेश है।

यह कि प्रार्थी का निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 423 व 424 ग्राम उनियारा मे प्रार्थी की माता का नाम बजरंगीदेवी के स्थान पर बरजीदेवी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी की माता का नाम बजरंगीदेवी के स्थान पर बरजीदेवी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने से राज हित प्रभावित नहीं होता है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध छाया प्रति रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

29.6.92 से बरजीदेवी ध0प0 धन्नालाल जाति गुजर निवासी उनियारा ने आराजी ख0न0 3166/0.25, 3167/0.26, 3171/0.76 कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 है0 व ख0न0 3168 रकबा 0.01 हि0 1/2 दाखां देवी, कमला देवी पुत्रियां बजरंगलाल जाति बारर निवासी उनियारा से खरीद किया है। इस बेनामा कि लाईन नम्बर 16 मे सहवन से बजरंगी देवी लिखा गया था जिसे तत्तसमय ही शुद्व कर बरजीदेवी लिख दिया गया था जिसका अंकन बेनामा मे नोट अंकित है कि लाईन न0 16 मे केत्री के नाम को बरजी देवी पढा जावे। ना0सं0 254 मे बरजीदेवी के स्थान पर बजरंगी देवी धर्मपत्नी धन्नालाल गलत दर्ज किया गया है। इसके आधार पर ही जमाबन्दी मे बजरंगीदेवी धर्मपत्नी धन्नालाल जाति गूर्जर अंकित हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरानम्ब्रान से निम्न प्रकार हाल खसरा नम्बरान कायम हुये है।

साबिक		हाल	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
3166	0.25	3354	0.25
3167	0.26	3355	0.26
3171	0.76	3359	0.76
3168	0.01	3357	0.01

नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2073 ग्राम उनियारा मे आराजी ख0न0 3354, 3355, 3359 कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 बजरंगीदेवी पत्नि धन्नालाल जाति गुजर सा0 देह के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–73 वाके ग्राम उनियारा मे आराजी ख0न0 3357 रकबा 0.01 गे0मु0 चाह मे बजरंगीदेवी पत्नि धन्नालाल गुजर सा0 देह का 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 29.9.10 मे बरजी पति धन्नालाल गुर्जर दर्ज है।

बैनामा के नामान्तरकरण खोलते समय ही राजस्व रेकार्ड मे बरजीदेवी के स्थान पर गलतरूप से बजरंगी देवी अंकित किया है। पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा ने भी अपने जवाब मे अंकित किया है कि प्रार्थी ि माता बजरंगीदेवी के स्थान पर बरजीदेवी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने से कोई राज हित प्रभावित नही होता है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह आराजी ख0न0 3354 रकबा 0.25, ख0न0 3355 रकबा 0.26, ख0न0 3359 रकबा 0.76 एवं ख0न0 3357 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा मे अंकित बजरंगीदेवी के स्थान पर बरजीदेवी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner